न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 78/2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 संतोष कंवर पुत्री ज्ञानसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील कुचामन जिला नागौर हाल निवासी ग्राम दुजोद तहसील धोद जिला सीकर राज0।

2 नंदा कंवर पुत्री ज्ञानसिंह पत्नी मदनसिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी बडी छापरी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

अपीलांट

बनाम

1 सुनिता देवी पत्नी कमल उम्र 44 वर्ष जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 29 पुराना, 39नया दयानन्द मार्ग, राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।

2 लक्ष्मी कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी दुजोद तहसील धोद जिला सीकर।

3 अशोक सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह।

4 जयपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह।

5 धर्मपाल सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी दुजोद तहसील धोद जिला सीकर।

6 अमर कंवर पत्नी स्व0 ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी दुजोद तहसील धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7 महेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी दुजोद तहसील धोद जिला सीकर।

8 भूमि धारक तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

आदेश अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्राथमिक आपत्ति

उपस्थित

1. श्री भोजराज सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानुराम बुडानियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः–23.08.18

प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट सुनिता अग्रवाल ने जरिये वकिल प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है अब उसके विचाराधीन रहते यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के आवेदन के साथ प्रस्तुत कर दी है विचारण न्यायालय में वाद केवल बंटवारे का है जिसमें केवल खातेदार ही पक्षकार हो सकता है। अत प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाने योग्य है।

Lomo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट ने धारा 96 सी.पी.सी. के आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये प्रारम्भिक आपत्ति जवाब प्रस्तुत कर धारा 96 सी.पी.सी का आवेदन स्वीकार करने एंव प्राथमिक आपत्ति खारीज करने का निवेदन किया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आर.आर.टी. 2017(1) पेज 415 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर धारा 96 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार करने एवं प्राथमिक आपत्ति का आवेदन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने आर.आर.टी. 2017(1) पेज 353 आर. आर.सी.1997 पेज 205 आर.आर.डी. 1977 पेज 95 ए.आई.आर 2005 सुपरिम कोर्ट पेज 1944 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में लम्बित वाद में अपीलांट ने आदेश 1 नियम 10 सी. पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर रखा है जो लम्बित है इसी दौरान अपीलांट ने धारा 96 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अपील प्रस्तुत कर दी है। विधि अनुसार अपीलांट 2 जगह एक ही सहायता के लिये आवेदन नही कर सकता है। अपीलांट विवादित भूमि में काश्तकार नही है विचारण न्यायालय में केवल विभाजन का वाद लम्बित है जिसमें केवल सहकाश्तकार ही पक्षकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय में केवल मात्र विभाजन का वाद लम्बित है अपीलांट विवादित भूमि में सहकाश्तकार खातेदार नही है विभाजन के बाद में केवल सहकाश्तकार खातेदार ही पक्षकार हो सकते है। अपीलांट विवादित भूमि को पैतृक बताकर अपना हक अधिकार बता रहा है यदि पैतृक आधार पर अपीलांट का कोई हक अधिकार बनता है तो उसे पहले विचारण न्यायालय में उदघोषणा का वाद लाना चाहिए उसके उपरान्त ही अपीलांट विभाजन का वाद लाने का अधिकारी होता है। प्रस्तुत प्रकरण

उप प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

केवल मात्र विभाजन का है ऐसी स्थिति में अपीलांट को धारा 96 सी.पी.सी के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। हमने माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया है इनकी रोशनी में भी अपीलांट की अपील पोषणीय नही पाई जाती है।

फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेंट की प्राथमिक आपत्ति आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं धारा 96 सी.पी.सी. का अपीलांट का आवेदन खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

ह०
23/8/18
(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर